

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-1

संख्या: /XXVII (1)/2015
देहरादून :: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 (झ) व 243 (म) सपठित उत्तराखण्ड में लागू उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश एक्ट सं०-26 ऑफ 1947) की धारा-32-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या: 119/XXVII(1)/2015, दिनांक: 02.02.2015 द्वारा गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के फलस्वरूप आयोग के शेष कार्यकाल के लिये प्रो० बी.के. जोशी को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या: 1488/XXVII (1)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रो. बी.के. जोशी, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 15/15-ए, डोभालवाला, कालीदास मार्ग, देहरादून।
3. समस्त सदस्य एवं सदस्य-सचिव, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 15/15-ए, डोभालवाला, कालीदास मार्ग, देहरादून।
4. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड सरकार।
11. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
13. संयुक्त, निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस निर्देश के साथ कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट, उत्तराखण्ड में प्रकाशित किया जाय।
14. समस्त अनुभाग, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अददाकी)
अपर सचिव।